ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2159
(20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत सड़क कार्यों की संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव

2159. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत आज की तिथि के अनुसार तेलंगाना के नालगोंडा और भोंगीर तथा आंध्र प्रदेश सहित जिला-वार सड़क कार्यों की मंजूरी पर विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहचान की गई परियोजनाओं सहित उस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए आज की तारीख तक जिला-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी/खर्च की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) बॉटम अप आयोजना वाली एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम सभा की सिफारिशों के अनुसार कार्यों की सूची में से कार्यों का निर्धारण , अनुमोदन और उनकी प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम पंचायत करती है। तदनुसार, मांग के अनुसार पंचायत द्वारा कार्यों को अनुमोदित और शुरू किया जाता है। श्रम बजट के निर्धारण के समय, कार्यों की योजना, एक वित्तीय वर्ष में कार्य के लिए सृजित किए जाने वाले अनुमानित श्रम दिवसों के अनुसार बनाई जाती है। **महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।**

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता है।

****